2:55

VISION IAS

www.visionias.in

SUBJECT:	ESSAY - 2020	Test Code:	1457
Name of Candidate	GAGAN SINGH MEENA		
Medium Hindi/Eng.	HINDI	Registration Number	157121
Center		Date	

INDEX TABLE

Q. No.	Page No.	Maximum Marks	Marks Obtained

Total Marks Obtained:

Remarks :

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. All questions are compulsory.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
3. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
4. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
5. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
6. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ न लिखें)

SECTION - A

कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप शांति में सबसे बेहतर सीखते हैं, और कुछ जिन्हें तूफान में

—×—×—

संवाद - 1

शांति: प्रत्येक मनुष्य को बेहतर बनाने तथा सार्वभौमिक मूल्य सिखाने के लिए केवल शांति ही आवश्यक है।

तूफान: यदि तूफान नहीं होगा तो मनुष्य अपनी चुनौतियों तथा बनायी गयी तकनीकियों का उपयोग कैसे करेगा।

संवाद - 2

शांति: लेकिन जब शांति उपस्थित है तो चुनौतिया वैसे भी नहीं पैदा होगी और बिना शांति के तूफान तो मनुष्य का अस्तित्व ही खत्म कर देगा।

Scanned with CamScanner

Don't write anything in the margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

तूफान: हम भी मनुष्य की गतिविधियों द्वारा प्रेरित होते हैं जो मनुष्य को उसके कर्मों के प्रति जागरूक रखती है कि वह अपने कर्तव्य एवं अधिकारों के मध्य सामंजस्य रखे।

संवाद: 3

शांति: हाँ, मैं भी आप की बात से सहमत हूँ कि हम दोनों मनुष्य को अपने-अपने स्तर पर सीख देते हैं।

तूफान: आप की बात सही है कि शांति सार्वभौमिक मूल्य है तथा तूफान भी मनुष्य को अपने दायित्व के बारे में बताता है।

उपर्युक्त परिचर्चा से हमें शांति तथा तूफान के अंतर्संबंधों का पता चलता है। तो वे कौनसी चीजे हैं जिन्हे हम शांति में सिखते हैं? वे कौनसी जिन्हे तूफान में सीखते हैं? क्या कोई ऐसी भी

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ न लिखें)

चीज है जो हम शांति तथा तूफान दोनों में सिखते है।? इन सभी प्रश्नों के अध्ययन के लिए विषय पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है।

सर्वप्रथम यह जानते है कि शांति एवं तूफान क्या है? शांति एक सार्वभौमिक मूल्य है जिसका सभी देश, काल तथा परिस्थितियों में महत्व रहा है। मनुष्य के विकास तथा सभ्यता की प्राप्ति के लिए शांति आवश्यक मूल्य है।

तूफान एक प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है और व्यक्ति द्वारा किसी घटना की गंभीरता के आधार पर कहा जा सकता है कि यह बहुत तूफानी है। यदि सरल शब्दों में कहे तो तूफान एक विनाशकारी घटना है। वे कौनसी चीजे है जिन्हे शांति में सीखते है।

शांति: एक अवसर तथा मूल्य

प्राचीन काल से ही शांति का विशेष महत्व रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में जहाँ लोग शांतिपूर्ण ढंग से जीते थे जिनके द्वारा उन्होंने

Scanned with CamScanner

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

विशाल अन्नागार, स्नानाघर तथा विस्तृत सड़क प्रणाली को बनाना सीखा।

सम्राट अशोक ने जब अपनी विजय की नीति को त्याग कर धम्म तथा शांति की नीति अपनाई तो यह हमें सिखाती है कि व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो जाता है तो एक अपराधी भी सच्चा नागरिक तथा प्रकृति एवं लोगों का भला बन सकता है।

भगवान बुद्ध जब अंगुलीमाल के पास जा रहे थे, तो अंगुलीमाल ने उनपर हमला करने का प्रयास किया लेकिन वे शांतिपूर्ण ढंग से अंगुलीमाल के पास गये और बिना किसी दबाव, लालच तथा दंड के अंगुलीमाल को बुद्धत्व में परिवर्तित कर दिया है। यह हमें यही सिखाती है कि शांति के द्वारा करुणा का प्रयोग किस प्रकार किया जाये।

इसी प्रकार महात्मा गांधीजी ने ~~स्वतंत्रता~~ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने विद्रोहियों को पछाड़ने के लिए शांति एवं सुलह की नीति अपनाई। चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हो या फिर भारत छोड़ो आंदोलन की बात इन सभी

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सत्याग्रह, अहिंसा एवं शांति ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बाध्य किया। ये हमे सिखाती है कि शासन कितना भी क्रूर हो लेकिन शांति पूर्ण तरीके को रखने में अंत में सत्य की ही विजय होती है।

सामाजिक स्तर पर शांति हमें प्रेम, परोपकार तथा पारस्परिकता के मूल्यों को सिखाती है। आज हमारे देश में अनेको जनजातिय होती है जिनमे शांति के कारण आपसी भाईचारा, सद्भाव अत्यधिक है वही मध्य भारत में नक्सवाद की समस्या ने अनेको आदिवासियों के बीच अशांति पैदा की है।

परिवार स्तरपर अगर शांतिपूर्ण माहौल है तो एक बच्चा की सामाजीकरण की प्रक्रिया अत्यधिक मजबूत होगी उसमें उच्चतम मूल्य होंगे जो देश, समाज तथा राष्ट्र निर्माण में सहायता करेंगे वहीं यदि अशांति होगी तो उसके अपराधी, पापी तथा धूर्त बनने की अधिक संभावना होगी।

Don't write anything in margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

राजनीतिक स्तर पर यदि दो राजनीतिक दल शांतिपूर्ण ढंग से प्रचार करे एक दूसरे के हितों एवं उपलब्धियों का सम्मान करे तो आंतरिक लोकतंत्र, चुनाव प्रणाली अत्यधिक निष्पक्ष तथा पारदर्शी होगी। जो हमें सिखाती है कि शांतिपूर्ण समाज एक लोकतांत्रिक प्रणाली को अधिक मजबूत करता है। तो फिर आर्थिक स्तर का क्या?

यदि दो राज्य शांति पूर्ण ढंग से व्यापार करे तो दोनों राज्यों को अधिक कर, उच्च निवेश, उच्च रोजगार उससे अधिक समावेशी विकास सुनिश्चित होगा।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान तथा दक्षिण कोरिया द्वारा शांतिपूर्ण नीति अपना कर आज विश्व के संचार तथा दूरसंचार क्रांति के जनक बन गये है। वहाँ के लोग न केवल अधिक संतुष्ट है बल्कि अपने राष्ट्र के प्रति उनका राष्ट्रवाद अत्यधिक उच्च है यह हमें सीख देता है शांति एक गरीब देश को विकसित देश बना सकती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)

आज हमारा पड़ोसी एवं मित्र राष्ट्र भूटान शांतिपूर्ण ढंग से अपने पर्यावरण को संरक्षित किये है जिसके कारण विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा भूटानी लोग अधिक खुशी है।

नीतिशास्त्र में भी कहा गया है कि सहिष्णुता, अहिंसा, परोपकारिता, सद्भाव, भाईचारा तथा एक-दूसरे के हितों का सम्मान एक शांतिपूर्ण माहौल में अधिक होता है जो रामराज्य, स्वराज तथा कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है।

तूफान: सिख या आपदा

तूफान के नाम का उपयोग करते ही लोगों के मन में एक विनाशकारी दृश्य आता है। यह सच भी है कि तूफान अपने साथ आपदा लेकर आता है जिससे मनुष्य, पशु, संपत्ति तथा पर्यावरण को हानि पहुचती है वही यह हमें कुछ सीख भी देता है।

Scanned with CamScanner

चाहे उत्तराखंड का तूफान हो या फिर हाल ही राजस्थान, बिहार जैसे कुछ राज्य में आयी भयंकर बाढ़ी हमें सिखाती है कि यदि पर्यावरण एवं विकास को एक साथ लेकर नही चला गया तो मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ सकता है। जो हमें सतत विकास की परिकल्पना के बारे में सिखाता है।

तूफान के बाद बड़े स्तर पर लोगों को परेशानी होती है, पशु-पक्षी विस्थापित हो जाते है इस स्थिति में लोक सेवक की लोगों के प्रति क्या प्रतिक्रिया होती है। उनकी करुणा, सहानुभूति, सेवा भावना का पता चलता है। केरल बाढ़ में प्रशांत नायर (IAS) का ऑपरेशन कुलेमानी हो या फिर हर्षा तेजा (IAS) का ऑपरेशन इडुक्की। यह लोगों के प्रति करुणा की सीख देता है।

तूफान के बाद लोगों को विस्थापित करके उन्हे अपने स्थान पर पुनः पुनर्वासित करना या फिर नये स्थान पर बसाना हमें राज्य की संसाधन तथा आपदा प्रबंधन रणनीति के बारे

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ न लिखें)

में सीख प्रदान करता है जैसे कि उत्तराखंड आपदा के बाद भारत सरकार द्वारा बड़े स्तर पर नाइट शेल्टर तथा साइक्लोन शेल्टरका निर्माण किया गया।

अगर 2004 की सुनामी नहीं आती तो शायद भारत का पूर्वानुमान चेतावनी प्रणाली इतनी सटीक नहीं होती जो हुदहुद / फुलफुन तथा आंफन जैसे चक्रवात की समय पूर्व चेतावनी प्रदान कर सकें।

भूकंप के बाद पुनर्निर्माण हमें हमारी तकनीकी, इंजीनियरिंग प्रणाली तथा संसाधनों के उत्तम प्रयोग के बारे में सीख प्रदान करता है कि आपदा के बाद किस प्रकार अनुक्रिया करें।

आज वैश्विक स्तर तथा राष्ट्रीय स्तरपर चाहे पेरिस एग्रीमेंट हो या फिर भारत द्वारा प्रायोजित CDRI (आपदा प्रत्यास्थ के लिए गठबंधन), सेंडाई फ्रेमवर्क हमारे आपदा / तूफान के बाद सीख का ही परिणाम है।

इस प्रकार शांति एवं तूफान दोनों अपने स्तर पर सीख प्रदान करते हैं। शांति जो मनुष्य को नुकसान से पहले प्रेरित करती है वह समाज में बेहतर माहौल बनाये रखे वहीं तूफान हमें नुकसान होने के बाद सीख देता है।

शांति एक सार्वभौमिक मूल्य है जो भविष्य में भी सभी सभ्यता को के लिए आवश्यक होगा इसे बनाये रखना प्रत्येक सभ्यता के लिए आवश्यक है। वहीं हमें कोशिश करनी चाहिए कि तूफान हमारी गलत विधियों से प्रेरित ना हो आज जो जलवायु परिवर्तन, भूमंडलीय ऊष्मन, बाढ़, चक्रवात आने की प्रवणता पहले से अधिक हुई है हमारी कार्यशैली का परिणाम है।

अतः मैं गांधी जी की अहिंसा तथा पर्यावरण के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति हमें शांतिपूर्ण माहौल प्रदान करेगा वहीं सतत विकास को प्राप्त करने जो शांतिपूर्ण होगा तथा समावेशी भी होगा।

———x———x———

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ न लिखें)

महिलाओं की

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

SECTION - B

महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु केवल विधायी उपाय पर्याप्त नहीं है।

मानवीय उच्चतम न्यायालय के विशाखा दिशा-निर्देशों के बाद भारत की संसद द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निषेध, निवारण) अधिनियम, 2013 पारित किया गया। आशा थी कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न रुक जाएंगे। लेकिन वास्तविकता कुछ अलग है जब 2018 में सोशल मीडिया पर #meToo आंदोलन चला तो हजारों महिलाओं ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की अपनी व्यथा व्यथा बताई थी। ये तो एक विधा ही है जहाँ हमने महिला सुरक्षा के लिए कानून तो बनाया लेकिन यह उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है॥

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ न लिखें)

उपर्युक्त से हमें से तो यही अर्थ निकलता है कि विधायी उपाय महिला सुरक्षा के लिए आवश्यक है तो लेकिन केवल अकेले पर्याप्त नहीं है। तो अब प्रश्न यही उठता है कि वे कौन विधायी उपाय है जो महिला सुरक्षा के लिए बने है लेकिन पर्याप्त नहीं है? महिला सुरक्षा से संबंधित क्या चुनौती है सरकार द्वारा क्या किया है? तथा आगे हम क्या कर सकते है। इन्ही सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए विषय पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है।

महिलाओं की सुरक्षा के सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य संबंधी आयाम है। इनके लिए भारत सरकार तथा संसद द्वारा अनेको विधायी उपाये किये है। सर्वप्रथम हम यही जानते है कि सुरक्षा से संबंधित कौन-कौनसे विधायी उपाय है तथा उनसे संबंधित क्या क्या चुनौतियाँ है।

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)

स्वतंत्रता के बाद समाज में महिला की स्थिति को मजबूत करने के लिए संसद द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 पारित किये ताकि महिला को पिता की संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि उच्चतम न्यायालय को अभी तक इस संबंध में यह स्पष्ट करना पड़ रहा है कि लड़की का पिता की संपत्ति पर जन्म से ही अधिकार है।

विभिन्न राज्यों में उठे महिला आंदोलन के बाद सरकार द्वारा दहेज निषेध अधिनियम 1961 पारित किया। लेकिन भारत के अलग-अलग हिस्सों में महिला की शादी करने के लिए लाखों करोड़ो दहेज के साथ लड़की के साथ अमानवीय व्यवहार इस विधायी अधिनियम की अपर्याप्तता को दर्शाता है।

कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा PCPNDT Act 1994 पारित किया उद्देश्य था कि भ्रूण चयन तथा लिंग विशिष्ट

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)

गर्भपात को रोका जाये लेकिन पिछले 4-5 से 5 दशकों में कन्या शिशु लिंगानुपात गिरकर 2001 में 927 से 2011 में 919 होगया है। अभी बड़ी विडम्बना तो यह है कि कानून का दुरुपयोग उन राज्यों में अधिक होरहा है जहाँ अधिक साक्षरता है तथा अत्यधिक शिक्षित है।

इसी प्रकार सरकार द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 पारित किया लेकिन यूनिसेफ (UNICEF) के आकड़े बताते है 26% लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से कम उम्र में कर दिया जाता है। इससे लड़कि की स्वास्थ्य, IMR, MMR दर अत्यधिक हो जाती है।

घरपर महिला पर हिंसा के मामले बढ़ने लगे तो सरकार द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 बनाया गया लेकिन COVID-19 में राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट बताती है। शिकायतो मे दोगुना घरेलू हिंसा मामलों की वृद्धि होगई है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आज हमारी उपभोक्तावादी संस्कृति ने महिला को एक वस्तु के समान कर दिया है। मीडिया, पत्रकार तथा मैगजीन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सहारा लेकर महिला का वस्तुकरण कर रही है जो बताता है महिला अशिष्ट निरूपण (निषेध) अधिनियम 1986 निष्प्रभावी रहा है।

2013 में दिल्ली के गैंगरेप हादसे ने देश को झकझोर कर रख दिया तब संसद द्वारा आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 पारित किया जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान था। लेकिन हद तो तब हो गयी जब हैदराबाद में एक वेटनरी डॉक्टर के साथ बलात्कार कर उसे जिंदा जला दिया और इससे भी रूह देने वाली घटना उन्नाव (2020) की थी जहाँ तो लड़की का शव घरवालों तक को नहीं दिया गया था।

इसी प्रकार बाल श्रम तथा बंधुआ मजदूरी को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin (इस क्षेत्र में कुछ भी न लिखें)

विधायी कानून बनाये लेकिन यह किसी से छुपा नहीं है कि चाहे फिरोजाबाद के चूड़ी फैक्टरी हो या फिर अलीगढ़ का ताला उद्योग दोनों में लड़कियां बड़ी मात्रा में कार्य करती हैं।

ये तो वे कानून हैं जो महिला की सुरक्षा से संबंधित थे इसके अलावा महिला के आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण के लिए अनेक कानून बनाये जिनमें कुछ - समान मजदूरी अधिनियम, 1948, मातृत्व लाभ अधिनियम (2017), MTP, 1971, सती प्रथा अधिनियम, तीन तलाक निषेध Act, आदि।

इसीप्रकार सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के लिए विधायी अधिकारों के अलावा अनेक प्रयास किये हैं जैसे महिला शक्ति केन्द्र के माध्यम से महिला की शिकायत तक पहुँच सुनिश्चित करना, SHE बाक्स कार्य उत्पीड़न से संबंधित ऑनलाइन शिकायत करना।

बसों, मैट्रो में CCTV कैमरा तथा पैनिक बटन की व्यवस्था करना, विशेष पुलिस का गठन करना, राष्ट्रीय महिला आपातकाल हेल्पलाइन 108, विद्यालय तथा विश्वविद्यालय पर महिला सशक्तीकरण तथा आत्म सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण, प्रत्येक निजी तथा सार्वजनिक कार्यालय में ICC (आंतरिक जांच समिति) की स्थापना करना, विशेष अदालतों के माध्यम से न्यायालयी कानूनों की सुनवाई करना।

इसके अलावा महिला सशक्तीकरण को बढ़ाने के लिए पंचायतों में आरक्षण, SHGs की स्थापना, महिला उद्यमिता मंच तथा स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, मुद्रा योजना, राष्ट्रीय महिला आयोग, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, उज्ज्वला योजना, पोषण मिशन, उड़ान स्कीम इत्यादि को ~~भी~~ शामिल किया है। लेकिन वे कौनसे कारक हैं जो विधायी कार्य अलावा महिला की सुरक्षा के लिए आवश्यक है?

Scanned with CamScanner

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ भी न लिखें)

समाज के स्तर पर हमारी पितृसत्तात्मक मानसिकता को खत्म करना तथा एक लड़की को लायबिलिटी के स्थान पर एसेट के रूप में देखना, बाल विवाह, बाल श्रम जैसी रूढ़ियों कुरीतियों के बचने के लिए सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम तथा कानूनों का बेहतर ढंग से पालन करना आवश्यक होगा।

समाज में महिला के प्रति व्यवहार परिवर्तन करना होगा, जेंडर स्टिरियोटाइपिंग की अवधारणा को खत्म करना होगा तथा महिला के नेतृत्व में सशक्तीकरण करने की आवश्यकता है।

इसी प्रकार राजनीतिक स्तर पर महिला की भूमिका नेतृत्व प्रक्रिया में बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि बने वाली नीतियां महिला संवेदनशील हो तथा उनकी वास्तविकता को शामिल किया जा सके।

Scanned with CamScanner

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

मीडिया की महिलाओं के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। TRP प्राप्त करने के लिए खबरों की सनसनीखेज जो महिला अस्मिता को खराब करती है। इसके लिए मीडिया नीति संहिता की अत्यधिक आवश्यकता है।

सोशल मीडिया तथा ~~ओवर द टॉप~~ OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम तथा हॉटस्टार TV सिरियल के नाम पर अनैतिक तथा पोर्नोग्राफी कंटेंट को लोगों को परोसकर उनकी भावनात्मक प्रतिक्रिया को बढ़ाते हैं। इसके इन प्लेटफार्मों को सरकार के नियंत्रण में लाया जाना चाहिए।

वर्तमान में AI, ML तथा डेटा विश्लेषण का उपयोग कर उन हॉट स्पॉट की पहचान की जा सकती है जो महिला सुरक्षा के प्रति अति संवेदनशील है।

इसी के साथ CCTV कैमरे, सेंसर तथा पैनिक बटन का उपयोग वास्तविक

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ না लिखें)

समय में मामलों की रिपोर्टिंग को दर्ज करेगा।

सरकारी अधिकारी तथा पुलिस प्रशासन जो FIR दर्ज करने में देरी करते है जिन्हे कठोर सजा सु.देना तथा वर्मा समिति की अनुशंसा के अनुसार पुलिस सुधार को लागू करना।

महिला अपने अधिकारो के प्रति जागरूक हो सके लिये शहरो मे वीडियो वॉल, डिस्पले, बैनरो, सभागों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना तथा प्रशिक्षित करना

इसी के साथ NGO, सिविल सोसायटी तथा स्वंय सहायता समूह जैसे निर्भया वाहिनी, गुलाबीगैंग जो महिला सुरक्षा के लिए कार्यरत है उनकी उसकी भागीदारी को प्रशासन मे बढ़ाना तथा उनका सहयोग लेना।

सबसे अधिक आवश्यक है कि वर्तमान कानून जो अपनी असंवेदनशीलता के कारण

Don't write anything this margin

पुराने हो चुके हैं उन्हे समाप्त करना तथा समय की आवश्यकता के अनुसार नये प्रावधानों को महिला कानून के अंतर्गत शामिल करना।

महिला की सुरक्षा के साथ महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सशक्तिकरण आवश्यक है इसके लिए पंचायतों को सशक्त करना, पंचायती सरपंच पति की अवधारणा को खत्म करना, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना, STEM (विज्ञान, तकनीकि, इंजीनियरिंग तथा मैथ्स) में महिला भागीदारी को बढ़ाना, आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करना तथा पंचायतों के संसद एवं विधानसभा में आरक्षण प्रदान करना, विद्यालय स्तर पर जागरूकता प्रदान करना, स्वास्थ्य तथा लैंगिकता का अधिकार प्रदान करना।

Scanned with CamScanner

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण के लिए अनेक सकारात्मक प्रयास किये और किये जा रहे हैं लेकिन के साथ हमें भी एक नागरिक होने के नाते तथा अपने कर्तव्य के अनुसार महिला किशोरियों का सम्मान करना चाहिए।

अतः मैं यह कहना कई संगत होगा की महिला के कल्याण / विकास तथा अब सशक्तीकरण कोयदि महिला के नेतृत्व में किया जाये तो अधिक सफलता प्राप्त होगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि "जिस सभ्यता में महिला का सम्मान नहीं किया वह न तो पहले कभी अस्तित्व में रह सकी यदि आगे वाली सभ्यता भी महिला का सम्मान नहीं करेगी तो उसकी भी समाप्ति हो जायेगी"

अंत: मैं "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते"